तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भवानीसिंह बनाम लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 102 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08...20	अपीलार्थी भवानीसिंह पुत्र शंकरराम मेघवाल निवासी देवगढ तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक .... में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत देवगढ में संचालित कुल राशन विक्रेता दुकानों की संख्या, ब्यौरा लिस्ट व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से जरिये पत्रांक 375 दिनांक 06.08.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी को सूचना की प्रतिलिपि शुल्क नियमानुसार कार्यालय हाजा मे जमा करवाने हेतु पत्रांक 451 दिनांक 04.03.2030 व 304 दिनांक 02.06.2020 लिखा गया, के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं करवाया गया व प्रार्थी द्वारा इसी संबंध में पुनः दिनांक 11.06.20 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई जो प्रार्थी को निर्धारित समय में पत्रांक 338 दिनांक 06.07.20 को सूचना दे दी गई। [illegible] अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् [illegible] सूचना [illegible] कराई जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त [illegible] की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2020.11.21 13:55:17 IST
Reason: SelfAttested